VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050
+918988886060

www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(22 March 2025)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- अमेरिका की छठी पीढ़ी की नेक्स्ट जेनेरशन एयर डोमिनेंस (NGAD) प्लेटफॉर्म, F-47
- भारतीय न्यायिक व्यवस्था में 'कॉलेजियम प्रणाली' से जुड़ा विवाद क्या है?
- ग्रोक (Grok) के पागलपंथी वाले प्रतिक्रिया के लिए कौन जिम्मेदार है?
- MCQ

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

अमेरिका की छठी पीढ़ी की नेक्स्ट जेनेरशन एयर डोमिनेंस (NGAD) प्लेटफॉर्म, F-47:

चर्चा में क्यों है?

- बोइंग ने 21 मार्च को एक बड़ी जीत हासिल की, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कंपनी को बहुप्रतीक्षित नेक्स्ट जेनरेशन एयर डोमिनेंस (NGAD) कार्यक्रम के तहत F-47 के निर्माण का ठेका दिया, जो दुनिया का पहला छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा।

- उल्लेखनीय है कि 20 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के इस सौदे के तहत लॉकहीड मार्टिन के F-22 रैप्टर की जगह ड्रोन के साथ काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए नए चालक दल के विमान F-47 को लाया जाएगा।
- F-47 में F-22 की तुलना में अत्याधुनिक स्टील्थ, उन्नत सेंसर और बढ़ी हुई रेंज की सुविधा होने की उम्मीद है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

अमेरिका का नेक्स्ट जेनरेशन एयर डोमिनेंस (NGAD) कार्यक्रम क्या है?

- उल्लेखनीय है कि NGAD शब्दावली का इस्तेमाल अक्सर उस चालक दल वाले लड़ाकू जेट को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो इस प्रयास के केंद्र में होगा, कार्यक्रम एक बहुत व्यापक पहल है।
- इसमें उच्च स्तर की स्वायत्तता के साथ सहयोगी लड़ाकू विमान (CCA) ड्रोन का विकास, साथ ही नए जेट इंजन, हथियार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट, सेंसर, नेटवर्किंग पारिस्थितिकी तंत्र, युद्ध प्रबंधन क्षमताएँ और बहुत कुछ शामिल है।
- NGAD लड़ाकू जेट कार्यक्रम मूल रूप से पेनेट्रेटिंग काउंटर-एयर (PCA) प्लेटफ़ॉर्म के रूप में संदर्भित योजनाओं से विकसित हुआ, जो 2010 के मध्य में सार्वजनिक रूप से सामने आया। पिछली लड़ाकू प्रतियोगिताओं के विपरीत, NGAD को शुरू से ही गोपनीयता में रखा गया है।
- ऐसे में नेक्स्ट जेनरेशन एयर डोमिनेंस (NGAD) सिस्टम परिवार की आधारशिला के रूप में, F-47 को अगली पीढ़ी के स्टील्थ, सेंसर फ्यूजन और लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमताओं को एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि विवादित वातावरण में सबसे परिष्कृत विरोधियों का मुकाबला किया जा सके।

- इसकी अनुकूलनशीलता और मॉड्यूलर डिज़ाइन उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ सहज एकीकरण सुनिश्चित करता है, जो इसे आने वाले दशकों के लिए एक प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म के रूप में स्थापित करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि F-47 भविष्य की मिशन आवश्यकताओं को पूरा करने और उभरते खतरों का मुकाबला करने के लिए अनुकूलनीय और अपग्रेड करने योग्य बना रहे।

छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान:

- उल्लेखनीय है कि अब तक, इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि इन लड़ाकू विमानों में वास्तव में क्या विशेषताएं होंगी। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की कई प्रमुख विशेषताएँ होंगी जो इन्हें उनके पूर्ववर्तियों से अलग करने वाली होंगी:
- **उन्नत स्टील्थ क्षमता:** उन्नत स्टील्थ तकनीकें रडार और इन्फ्रारेड सिग्नेचर को कम करती हैं, जिससे विमान पहचान प्रणालियों के लिए लगभग अदृश्य हो जाता है।
- **AI का एकीकरण:** AI-सक्षम प्रणालियाँ वास्तविक समय में निर्णय समर्थन, स्वायत्त संचालन और बढ़ी हुई स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करती हैं।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- **हाइपरसोनिक क्षमताएँ:** मैक 5 से अधिक गति प्राप्त करने की क्षमता, जो तेजी से संलग्नता और बचाव सुनिश्चित करती है।
- **निर्देशित ऊर्जा हथियार:** सटीक हमलों और रक्षा के लिए लेजर और विद्युत चुम्बकीय प्रणालियों की तैनाती।
- **नेटवर्क-केंद्रित युद्ध:** एक बड़े युद्धक्षेत्र नेटवर्क में निर्बाध एकीकरण, सूचना साझाकरण और समन्वित संचालन की सुविधा प्रदान करता है।
- **मानव रहित क्षमता:** मिशन प्रोफाइल में लचीलेपन के लिए वैकल्पिक मानवयुक्त/मानव रहित संचालन।

भारतीय न्यायिक व्यवस्था में 'कॉलेजियम प्रणाली' से जुड़ा विवाद क्या है?

चर्चा में क्यों है?

- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को उनके मूल उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया है, उनके नई दिल्ली स्थित आवास पर नकदी के बारे में एक रिपोर्ट के बाद, जहां 14 मार्च को आग लग गई थी।

- कानूनी हलकों में हलचल पैदा करने के अलावा, इन घटनाक्रमों की गूंज संसद में भी सुनाई दी, जब उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने न्यायाधीश के आवास पर नकदी से जुड़ी घटना का जिक्र करते हुए कहा, "अगर इस समस्या से निपटा गया होता, तो शायद हमें इस तरह के मुद्दों का सामना नहीं करना पड़ता"।

- उपराष्ट्रपति धनखड़ इस मामले में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम का जिक्र कर रहे थे, जिसे 2014 में संसद ने मंजूरी दी थी और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था।

भारतीय न्यायिक व्यवस्था में कॉलेजियम प्रणाली क्या है?

- कॉलेजियम वह प्रणाली है जिसके द्वारा भारत में उच्च न्यायपालिका - सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण किया जाता है।
- यद्यपि यह संविधान या संसद द्वारा प्रख्यापित किसी विशिष्ट कानून में निहित नहीं है, लेकिन यह पिछले कुछ वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ है, जिसे लोकप्रिय रूप से "न्यायाधीशों के मामले" के रूप में जाना जाता है।
- उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम एक पाँच सदस्यीय निकाय होता है, जिसकी अध्यक्षता भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश (CJI) करते हैं, और इसमें उस समय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। वहीं, उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं।

- अपनी प्रकृति के अनुसार, कॉलेजियम की संरचना बदलती रहती है, और इसके सदस्य केवल उस समय तक ही सेवा करते हैं, जब तक वे सेवानिवृत्त होने से पहले बेंच पर अपने वरिष्ठता के पदों पर रहते हैं।

कॉलेजियम प्रणाली कैसे काम करती है?

- सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए जाने वाले जजों के नामों की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम करता है। इसी तरह हाई कोर्ट कॉलेजियम (अपने-अपने हाई कोर्ट के लिए) भी करते हैं, हालांकि उनकी सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- ये सिफारिशें सरकार तक पहुँचती हैं, जिसकी भूमिका इस प्रक्रिया में अनुशंसित व्यक्तियों के बारे में इंटेलिजेंस ब्यूरो जांच करने तक सीमित है।
- जबकि सरकार आपत्तियाँ उठा सकती है और कॉलेजियम की पसंद के बारे में स्पष्टीकरण माँग सकती है, लेकिन अगर कॉलेजियम उसी बात को दोहराता है तो संविधान पीठ के फैसलों के तहत वह नामों को अनुमोदित करने के लिए बाध्य है।
- हालांकि वर्तमान समय में अनेक मामले में सरकार द्वारा अनेक नामों को दोबारा वापस भेजा गया है, जोकि सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव का एक और मामला बना था।

कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना क्यों की जाती रही है?

- आलोचकों ने बताया है कि कॉलेजियम प्रणाली अपारदर्शी है, क्योंकि इसमें कोई आधिकारिक तंत्र या सचिवालय शामिल नहीं है। इसे बंद कमरे में होने वाला मामला माना जाता है, जिसमें पात्रता मानदंड या यहां तक कि चयन प्रक्रिया के बारे में कोई निर्धारित मानदंड नहीं हैं।
- इस बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं है कि कॉलेजियम की बैठक कब और कैसे होती है, और यह कैसे निर्णय लेता है, क्योंकि कॉलेजियम की कार्यवाही के कोई आधिकारिक विवरण नहीं हैं। ऐसे में इस प्रणाली पर भाई-भतीजा वाद का भी आरोप लगता रहा है।
- यह लंबे समय से न्यायपालिका और सरकार के बीच विवाद का मुद्दा भी रहा है।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) का क्या मामला है?

- वर्ष 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति एम एन वेंकटचलैया आयोग ने कॉलेजियम की जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) के गठन की सिफारिश की थी। इसमें मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री और राष्ट्रपति

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से चुना जाने वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होगा।

- उल्लेखनीय है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में संसद में NJAC विधेयक को पेश किया था जिसे संसद ने लगभग सर्वसम्मति से मंजूरी दी थी साथ ही 16 राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त हुआ, लेकिन एक साल के भीतर ही सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने बहुमत के मत में कहा, "ऐसी वैकल्पिक प्रक्रिया को स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं है, जो उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका की प्रधानता सुनिश्चित नहीं करती है"।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

ग्रोक (Grok) के पागलपंथी वाले प्रतिक्रिया के लिए कौन जिम्मेदार है?

मुद्दा क्या है?

- भारत सरकार एलन मस्क के एक्स के साथ उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट 'ग्रोक' द्वारा उत्पन्न पागलपंथी वाले प्रतिक्रियाओं के लिए के संपर्क में है, सरकार में कई लोग इस सवाल से जूझ रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एआई द्वारा किए जा रहे जवाबों के लिए वास्तव में कौन जिम्मेदार है?

- उल्लेखनीय है कि ग्रोक कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए, जब ग्रोक किसी उपयोगकर्ता को उनके सबसे प्रमुख पारस्परिक संबंधों के बारे में जवाब देते समय गाली का उपयोग करता है, या अन्य झूठे या बिना जांचे परखे कोई जबाब देता है तो उसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जायेगा?

- ऐसे में ग्रोक के साथ घटित हो रही घटनाओं से संबंधित तीन मुख्य चिंताओं को ध्यान में रखना जरूरी है: इसकी प्रतिक्रियाओं के लिए कौन जिम्मेदार है, क्या इससे प्रश्न पूछने वाले लोग किसी तरह उत्तरदायी हैं, और क्या ग्रोक सच्चाई का स्रोत है?

ग्रोक के पागलपंथी के लिए कौन जिम्मेदार है?

- उल्लेखनीय है कि एक्स, मेटा और यूट्यूब जैसे इंटरनेट प्लेटफॉर्म को उनके उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट की जाने वाली सामग्री से कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। इसे 'सेफ हार्बर' कहा जाता है - तर्क यह है कि प्लेटफ़ॉर्म का इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं है कि उपयोगकर्ता क्या पोस्ट कर रहे हैं। वे केवल माध्यम हैं, इसलिए उन्हें तीसरे पक्ष की सामग्री होस्ट करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।
- जबकि वर्तमान में वायरलिटी और ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पर भाषण की क्षमता को देखते हुए, जिससे वास्तविक दुनिया को नुकसान हो सकता है, ऐसे में लाख टके का सवाल यह है कि क्या ग्रोक को 'सेफ हार्बर' सुरक्षा मिल सकती है।
- यह कानून निर्माताओं के लिए एक जटिल प्रश्न है। एक्स ने भारत सरकार को बताया है कि उसे ओपन-इंटरनेट पर प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें संभवतः वह

सामग्री भी शामिल है जिसे उपयोगकर्ता एक्स पर पोस्ट करते हैं। इसलिए, एक तरह से, ग्रोक जो कुछ भी उत्पन्न करता है वह इंटरनेट पर लोगों द्वारा व्यक्त सामग्री पर आधारित है।

- इसके अलावा, भारत में भाषण एक अत्यधिक संरक्षित श्रेणी है, भारतीय संविधान कुछ उचित प्रतिबंधों के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान करता है। लेकिन, वे अधिकार मनुष्यों को उपलब्ध हैं।

क्या ग्रोक को 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' का अधिकार है?

- उल्लेखनीय है कि ग्रोक कोड अनिवार्य रूप से यह निर्धारित करता है कि वाक्य में अगला शब्द क्या होना चाहिए, जो उस अंतर्निहित डेटासेट का एक कारक है जिस पर इसे प्रशिक्षित किया गया है, जो बदले में वास्तविक मनुष्यों द्वारा उत्पन्न होता है।
- इसलिए, कई लोग तर्क देंगे कि ग्रोक की प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी मुख्य रूप से xAI, इसके निर्माता और X पर है, जिन्होंने ग्रोक को बिना किसी फ़िल्टर के प्रतिक्रियाएँ बनाने की अनुमति दी।
- लेकिन इससे भी कुछ प्रासंगिक प्रश्न उठते हैं। कोई एल्गोरिदम के रचनाकारों को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकता है? क्या वे उच्च-भुगतान वाले लोग हैं जिन्होंने कोड लिखा है, या कम वेतन वाले डेटा एनोटेटर हैं?

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, "ग्रोक निश्चित रूप से एक वास्तविक व्यक्ति नहीं है, यह एक कृत्रिम इकाई है। लेकिन इसके कुछ जवाब निश्चित रूप से समस्याग्रस्त हैं। यह एक दिलचस्प और कठिन समस्या है, जिसका समाधान हमें सरकार में रहकर करना होगा"।

क्या हमें ग्रोक या अन्य चैटबॉट पर भरोसा करना चाहिए?

- इस सवाल का संक्षिप्त जवाब यह है कि एआई प्रतिक्रियाओं को सटीक जानकारी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, चाहे वे किसी व्यक्ति की सामाजिक-राजनीतिक मान्यताओं को कितना भी संतुष्ट करें।
- ध्यातव्य है कि पहले से ही, कई प्लेटफ़ॉर्म अपने एआई मॉडल पर फ़िल्टर लगा रहे हैं ताकि सरकारी जाँच से सुरक्षित रहने के लिए उनके राजनीतिक भाषण को प्रतिबंधित किया जा सके। पिछले साल भारत में लोकसभा चुनाव होने वाले थे, Google ने कहा कि वह देश में अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट जेमिनी से उपयोगकर्ताओं द्वारा पूछे जाने वाले चुनाव-संबंधी प्रश्नों के प्रकारों को प्रतिबंधित करेगा।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

AI चैटबॉट पर निगरानी का सबसे अच्छा तरीका क्या है?

- विशेषज्ञों के अनुसार AI चैटबॉट से आउटपुट को नियंत्रित करने के कई तरीके हैं। हालांकि, इन नियंत्रणों को दरकिनार करने के और भी तरीके हैं, और इनमें से बहुत से बचावों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है।
- उल्लेखनीय है कि AI चैटबॉट में इन-बिल्ट गार्डरेल को दरकिनार करने की ऐसी तकनीकों को 'AI जेलब्रेक' के रूप में जाना जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह तब होता है जब कोई उपयोगकर्ता AI चैटबॉट को डेवलपर द्वारा निर्धारित नियमों को तोड़ने के लिए मजबूर करता है। ग्रोक मामले में भी, कई उपयोगकर्ता चैटबॉट को जानबूझकर उकसाते दिखाई दिए।
- इस बीच, विशेषज्ञ ने तर्क दिया कि AI चैटबॉट आउटपुट पर सीधे निगरानी नहीं की जानी चाहिए। इसके बजाय, डेवलपर्स को जोखिमों का आकलन करने, विविधता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटासेट के बारे में अधिक पारदर्शी होने और संभावित नुकसान को कम करने के लिए पूरी तरह से रेड-टीमिंग और तनाव परीक्षण करने की आवश्यकता होनी चाहिए।

MCQ

Q.1. चर्चा में रहे 'नेक्स्ट जेनरेशन एयर डोमिनेंस (NGAD) कार्यक्रम' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह अमेरिका का छठी पीढ़ी के अतिउन्नत लड़ाकु विमानों के विकसित करने का एक वहुआयामि कार्यक्रम है।
2. यह कार्यक्रम मूल रूप से पेनेट्रेटिंग काउंटर-एयर (PCA) प्लेटफ़ॉर्म के रूप में संदर्भित योजनाओं से विकसित हुआ, जो 2010 के मध्य में सार्वजनिक रूप से सामने आया।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (c)

Q.2. हाल ही में चर्चा में रहे 'छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की विशेषताओं' में निम्नलिखित में से कौन-सा इसमें शामिल नहीं है?

(a) उन्नत स्टील्थ क्षमता

(b) हाइपरसोनिक क्षमता

(c) निर्देशित ऊर्जा हथियार

(d) पूर्णतः मानवरहित उड़न क्षमता

Ans. (d)

Q.3. चर्चा में रहे भारतीय न्यायिक व्यवस्था में 'कॉलेजियम प्रणाली' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह वह प्रणाली है जिसके द्वारा भारत में उच्च न्यायपालिकाओं में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण किया जाता है।
2. इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 एवं अनुच्छेद 217 में किया गया है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans. (a)

Q.4. हाल ही में चर्चा में रहे 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) न्यायमूर्ति एम एन वेंकटचलैया आयोग ने कॉलेजियम की जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) के गठन की सिफारिश की थी।

(b) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम को 2014 में संसद ने मंजूरी दी थी और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था।

(c) सर्वोच्च न्यायालय ने इसे न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताते हुए असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया।

(d) उपर्युक्त सभी सही हैं।

Ans. (d)

Q.5. चर्चा में रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट 'ग्रोक' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इस चैटबॉट को संविधान के तहत वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है।
2. इसके प्रतिक्रियाओं को सटीक जानकारी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, चाहे वे किसी व्यक्ति की सामाजिक-राजनीतिक मान्यताओं को कितना भी संतुष्ट करें।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans. (b)